रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 217] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 1977/आषाढ़ 7, 1899
No 217] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 1977/ASADHA 7, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 28th June 1977

G.S.R. 418(E).—In exercise of the powers conferred by rule 174A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby exempts from the operation of rule 174 of the said Rules, the following excisable goods so long as they remain exempt from the whol of the duty of excise leviable thereon, namely.—

(i) Unpasteurised butter, falling under item No 1C of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), provided the total quantity of butter, whether unpasteurised or pasteurised, produced by, or on behalf of, a manufacturer in one or more factories on any day of the concerned financial year does not exceed 50 kilograms.

(ii) Aerated Waters, falling under Item No 1D of the Frst Schedule to the said Act, manufactured by or on behalf of a manufacturer in one or more factories in none of which power is used in any process of seuch manufacture and not more than one filling machine is installed by him for such manufacture

(iii) Acetylene Gas, falling under sub-item (vi) of Item No. 14H of the First Schedule to the said Act, produced in a portable generator by the reaction of water dripping slowly on calcium carbide.

(iv) Polishes and creams and scouring powders and pastes, falling under Item No 15D of the First Schedule to the said Act, provided that the sum total of the value of the capital investment made from time to time on plant and machinery installed in the industrial unit in which such goods are manufactured is not more than Rs 10 lakhs and the value of clearances for home consumption of such goods by or on behalf of a manufacturer from one or more factories does not exceed Rs. 1 lakh in a financial year or Rs 80,000/- during the period commencing on the 18th day of June, 1977 and ending on the 31st day of March, 1978.

(v) Tools, falling under Item No 51A of the First Scheduled to the said Act, provided that the sum total of the value of the capital investment made from time to time on plant and machinery installed in the industrial unit in which such tools are manufactured is not more than Rs. 10 lakhs and the value of clearances for home consumption of such goods by or on behalf of a manufacturer from one or more factories does not exceed Rs 1 lakh in a financial year or Rs 30,000/- during the period commencing on the 18th day of June 1977 and ending on the 31st day of March, 1978.

(vi) Electric lighting fittings, falling under Item No 61 of the First Schedule to the said Act, provided that the sum total of the value of the capital investment made from time to time on plant and machinery installed in the industrial unit in which such electric lighting fittings are manufactured is not more than Rs. 10 lakhs and the value of clearances for home consumption of such goods by or on behalf of a manufacturer from one or more factories does not exceed Rs 1 lakh in a financial year or Rs 80 000 during the period commencing on the 18th day of June, 1977 and ending on the 31st day of March, 1978

2 Nothing contained in the preceding paragraphs shall apply to a manufacturer who fails to make a declaration and give an undertaking as specified in the Form annexed hereto.

FORMS

To

The Superintendent,

Central Excise,

————————

1. I/We———————————— (name (s) of the proprietor/partners or an authorised person of company) hereby declare that I/We have factory(ies) located at———————— manufacturing excisable goods namely ———————— and that these goods are (*exempted/likely to remain exempted) from payment of duty of excise in terms of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No .. ... Central Excises dated the . .. .

2 I/We undertake to apply for a Central Excise licence in proper form, as soon as the goods mentioned above are liable to pay duty of excise.

(*NOTE.—delete whichever is inapplicable)

[No. 205/77-C.E.]

KRISHNA KANT, Under Secy

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 28 जून, 1977

सा० का० नि० 418 (अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 174क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, निम्नलिखित उत्पाद-शुल्कय मालों को, तब तक जब तक कि वे उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है, उक्त नियमों के नियम 174 के प्रवर्तन से छूट देती है, अर्थात् :—

(i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1ग के अन्तर्गत सम्मिलित अपास्तुरीकृत मक्खन, परन्तु यह तब जब विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों में, सबंधित वित्तीय वर्ष मे किसी एक दिन, अपास्तुरीकृत अथवा पास्तुरीकृत उत्पादित मक्खन की कुल मात्रा 50 किलोग्राम से अधिक न हो ।

(ii) उक्त अधिनियम के प्रथम अनुसूची की मद सं० 1घ के अन्तर्गत सम्मिलित वातित जल जो कि किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से ऐसे एक अथवा अधिक कारखानों में विनिर्मित किया गया हो जिनमें ऐसे विनिर्माण की किसी भी प्रक्रिया मे पावर का प्रयोग नही किया जाता हो और ऐसे विनिर्माता द्वारा उसके विनिर्माण के लिए एक से अधिक भराई मशीन सस्थापित नही की गई है ।

(iii) उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14 ज की उप-मद (Vi) के अन्तर्गत सम्मिलित एसेटलीन गैस जो कैलशियम कार्बाईड पर धीरे धीरे जल गिरा कर, प्रतिक्रिया द्वारा, किसी जल जनित्र (जेनरेटर) द्वारा उत्पादित हो ।

(iv) उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद स० 15घ के अन्तर्गत सम्मिलित पालिशें और क्रीमें और निरवर्षण चूर्ण (स्काऊरिंग पाउडर), परन्तु यह तब जब उस औद्योगिक एकक में, जिसमें ऐसे माल का विनिर्माण किया जाता है, संयंत्र और मशीनो पर समय-समय पर किए गए पूजी विनिधान की कुल रकम 10 लाख रुपये से अधिक नही है, और ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानो में से गृह उपभोग के लिए की गई निकासियो का मूल्य एक वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये से अथवा 18 जून, 1977 को प्रारम्भ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त अवधि के दौरान 80,000 रु० से अधिक नहीं हो ।

(V) उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 51क के अन्तर्गत सम्मिलित औजार, परन्तु यह तब जब उस औद्योगिक एकक में, जिस मे ऐसे माल का विनिर्माण किया जाता है, सयत्र और मशीनो पर समय-समय पर किये गये पूजी वि धान की कुल रकम 10 लाख रुपये से अधिक नही है, और ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानो में से गृह उपभोग के लिये की गई निकासियो

का मूल्य एक वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये से अथवा 18 जून, 1977 को प्रारम्भ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त अवधि के दौरान 80,000 रु० से अधिक नहीं हो ।

(vi) उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 61 के अन्तर्गत सम्मिलित वैद्युत प्रकाश फिटिंगें, परन्तु यह तब जब कि उस औद्योगिक एकक में, जिसमें ऐसी वैद्युत प्रकाश फिटिंगों का विनिर्माण किया जाता है, संयंत्र और मशीनों पर समय-समय पर किये गये पूंजी विनिधान की कुल रकम 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है और ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों में से गृह उपभोग के लिये की गई निकासियों का मूल्य एक वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये से अथवा 18 जून, 1977 को प्रारम्भ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त अवधि के दौरान 80,000 रु० से अधिक नहीं हो ।

2 पूर्ववर्ती पैरा की कोई भी बात ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी जो इससे उपाबद्ध प्ररूप में विनिर्दिष्ट घोषणा और बचन-बन्ध करने में चूक करता है ।

प्ररूप

अधीक्षक,

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क,

... .

1. *मैं हम . . .. (कम्पनी के स्वामी)/ ठेकेदार या प्राधिकृत व्यक्ति का के नाम) घोषणा करते है कि मेरी मेरे *हमारी हमारे कारखाना खारखाने में जो कि . .. . पर स्थित है उत्पाद-शुल्क माल, अर्थात् . . .. का विनिर्माण होता है तथा यह माल भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० . ... केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख ... . के अनुसार उत्पाद-शुल्क के संदाय से *छूट प्राप्त है छूट प्राप्त रहे आने की संभावना है ।

2 *मैं/हम वचन* देता हू देते हैं कि जैसे ही ऊपर उल्लिखित माल उत्पाद-शुल्क के संदाय के दायित्वाधीन होगा* मैं हम उचित प्ररूप में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करूंगा/करेंगे ।

(***टिप्पण.**—जो लागू न होता हो उसे काट दीजिए) ।

[सं० 205/77—सी० ई०]

कृष्णा कान्त, अवर सचिव ।

मुद्रक : धवक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977